न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1192 सन 2020

अनवान :-

1. विकाश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. साहबराम पुत्र बीरबलराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. प्रवीण कुमार पुत्र रामकुमार जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. हंसराज पुत्र साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. राजेश कुमार पुत्र हसराज जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री हंसराज जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. संगीता पुत्री हसराज जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. कृष्णा पुत्री साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. शारदा पुत्री साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
10. सरोज पुत्री साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

1 साहबराम पत्र बीरबलराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/04/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 375/375 की कुल 10.4330हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम वल्द शेराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बीरबलराम वल्द शेराराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीरबलराम वल्द शेराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,4 की पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 की पौत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बीरबलराम वल्द शेराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 375/375 की कुल 10.4330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम वल्द शेराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बीरबलराम वल्द शेराराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीरबलराम वल्द शेराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,4 की पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 की पौत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 375/375 की कुल 10.4330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि बीरबलराम वल्द शेराराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम वल्द

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

शेराराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीरबलराम वल्द शेराराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनसुार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 375/375 की कुल 10.4330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में से रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 375/375 के खसरा न0 130 की 0.4930हैक खसरा न0 131/2 की 0.1770हैक व खसरा न0 133/4 की 3.795हैक व खसरा न0 363/3 की 1.2770हैक खसरा न0 129/734 की 1.03625हैक कुल 6.77825हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होगे एवं साहबराम प्रतिवादी संख्या 1 रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 375/375 के खसरा न0 133/2 की 2.7060हैक व खसरा न0 129/734 की 0.94875हैक कुल 3.6547हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( )
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विकाश कुमार पुत्र रामकुमार जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 साहबराम पुत्र बीरबलराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. प्रवीण कुमार पुत्र रामकुमार जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. हंसराज पुत्र साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
5. राजेश कुमार पुत्र हसराज जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री हंसराज जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
7. संगीता पुत्री हसराज जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
8. कृष्णा पुत्री साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
9. शारदा पुत्री साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
10. सरोज पुत्री साहबराम जाति जांगिड साकिन थिराना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1192 सन 2020 निर्णय दिनांक– 05/4/21

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 375/375 की कुल 10.4330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 375/375 के खसरा न0 130 की 0.4930हैक खसरा न0 131/2 की 0.1770हैक व खसरा न0 133/4 की 3.795हैक व खसरा न0 363/3 की 1.2770हैक खसरा न0 129/734 की 1.03625हैक कुल 6.77825हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होगे एवं साहबराम प्रतिवादी संख्या 1 रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 375/375 के खसरा न0 133/2 की 2.7060हैक व खसरा न0 129/734 की 0.94875हैक कुल 3.6547हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/4/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)